न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
13/17	09.02.2017	25.10.2017

पीठासीन अधिकारी – तारामती वैष्णव (**R.A.S.**)

उनवान

मूर्ति श्री वक्रांगी देवी नन्दवाना समाज, नीमोदा हरिजी जरिये श्री वक्रांगी मंदिर ट्रस्ट सचिव श्याम मोहन पुत्र स्व0 रामकरण नन्दवाना निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

1. गणेशलाल पुत्र स्व0 कन्हैयालाल जाति नन्दवाना निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

उपस्थित – श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट वादी की ओर से

– श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम भगवानपुरा तहसील दीगोद में प्रतिवादी नं0 1 गणेशलाल की खातें में खाता नं0 20 की ख0नं0 68 रकबा 0.64 हे0 व अन्य ख0नं0 की कुल किता 10 रकबा 14.32 हे0 आराजी स्थित है। ग्राम नीमोदा हरिजी में वादी मूर्ति का मंदिर स्थित है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दिनांक 03.03.1968 को हुई थी तथा वक्त प्राण प्रतिष्ठा प्रतिवादी नं0 1 ने ख0नं0 68 रकबा 0.64 हे0 भूमि को मूर्ति मंदिर श्री वक्रांगी देवी जरिये व्यवस्थापक नन्दवाना समाज नीमोदा हरिजी को मौखिक दान कर दी थी, जिसे नन्दवाना समाज नीमोदा हरिजी द्वारा दान स्वीकार कर मूर्ति की ओर से दान की गई भूमि पर कब्जा संभाल लिया था। वर्तमान में भी दान की गई भूमि पर दानग्रहिता का मौके पर कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि मंदिर को मौखिक दान की गई थी, क्योकि मूर्ति को दान देनें के लिये किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है तथा दान की भूमि का पंजीकरण भी आवश्यक नहीं है तथा तब से आज तक वादी मूर्ति मंदिर का ही कब्जा चला आ रहा है। परन्तु वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी नं0 1 की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो जिससे यह दावा किया जा रहा है ता कि भूमि मूर्ति मंदिर की खातेदारी में दर्ज हो जावें। प्रतिवादी से विवादित

10.01.2017 को वाद कारण उत्पन्न हुआ

वाद पेश कर वादी ने निवेदन किया कि ग्राम भगवानपुरा तहसील दीगोद में
20 की ख0नं0 68 रकबा 0.64 हे0 भूमि वादी मूर्ति की खातेदारी में दर्ज करनें एवं पृथक से
लगान कायम करने हेतु डिक्री प्रदान करनें की कृपा करें, अन्य कोई सहायता जो न्यायोचित
हो वह भी वादी को प्रदान की जावें।

वादी की ओर से दस्तावेजीं साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम भगवानपुरा सं0 2070–73 खाता नं0 20 प्रदर्श–1
2. छायाप्रति प्रमाण पत्र मंदिर श्री वक्रांगी माता जी ग्राम नीमोदा हरीजी
3. शपथ पत्र साक्ष्य वादी गवाह श्याम मोहन पुत्र स्व0 रामकरण जाति नन्दवाना निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा, सचिव मूर्ति श्री वक्रांगी देवी नन्दवाना समाज, नीमोदा हरिजी

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से इकबालिया जवाब प्रस्तुत हुआ तथा निवेदन किया कि विवादित आराजी ख0नं0 68 रकबा 0.64 हे0 भूमि वादी मूर्ति की खातेदारी में दर्ज करनें में प्रतिवादी नं0 1 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी नं0 2 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी नं0 1 द्वारा मौखिक दान किया जाना बताया है, किन्तु दान सम्बन्धित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये है। मौके पर मंदिर का निर्माण हो रहा है व अन्य गतिविधियां संचालित है यदि प्रतिवादी नं0 1 को कोई आपत्ति न हो तो राजकीय पंजीयन शुल्क की अदायगी पर वादी के नाम भूमि दर्ज किया जा सकता है।

प्रकरण में निम्न तनकीयात् का निर्धारण किया गया–

1. आया ग्राम भगवानपुरा तहसील दीगोद में ख0नं0 68 रकबा 0.64 हे0 आराजी स्थित है जो वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवदी नं0 1 की खातेदारी में दर्ज है ?
–वादी

2. आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 गणेशलाल द्वारा दिनांक 03.03.1968 को मूर्ति मंदिर श्री वक्रांगी देवी को मौखिक रूप से दान कर दी गई थी, तब से ही वादग्रस्त भूमि पर वादी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है ?
–वादी

3. आया वादी मूर्ति वादग्रस्त आराजी पर, प्रतिवादी नं0 1 को आपत्ति न हो तो राजकीय पंजीयन शुल्क अदा कर वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करनें की अधिकारिणी है ? —कानूनी

4. अनुतोष

हमनें उभय पक्ष को अपने–अपने साक्ष्य सहादत आदि प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्तियुक्त अवसर दिये तथा बाद साक्ष्य हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। तनकीवार विनिश्चय निम्न प्रकार है–

तनकी नं0 1– आया ग्राम भगवानपुरा तहसील दीगोद में ख0नं0 68 रकबा 0.64 हे0 आराजी स्थित है जो वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवदी नं0 1 की खातेदारी में दर्ज है ? उक्त तनकी को सिद्ध करनें का भार वादी पर था। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–1 जमाबंदी वाके ग्राम भगवानपुरा सं0 2070–73 में प्रतिवादी नं0 1 अभिलिखित खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। अतः उक्त तनकी बहक वादी तय की जाती है।

तनकी नं0 2– आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 गणेशलाल द्वारा दिनांक 03.03. 1968 को मूर्ति मंदिर श्री वक्रांगी देवी को मौखिक रूप से दान कर दी गई थी, तब से ही वादग्रस्त भूमि पर वादी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है ? उक्त तनकी को सिद्ध करनें का भार वादी पर था। प्रतिवादी नं0 1 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब से उक्त तथ्य प्रमाणित है कि प्रतिवादी नं0 1 द्वारा ख0नं0 68 की भूमि मूर्ति मंदिर को मौखिक रूप से दान कर दी गई थी तथा इस बाबत् प्रतिवादी नं0 1 ने किसी भी प्रकार का खण्डन अपनें जवाब में नहीं किया है। अतः उक्त तनकी बहक वादी तय की जाती है।

तनकी नं0 3– आया वादी मूर्ति वादग्रस्त आराजी पर, प्रतिवादी नं0 1 को आपत्ति न हो तो राजकीय पंजीयन शुल्क अदा कर वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करनें की अधिकारिणी है ? प्रतिवादी नं0 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद से प्राप्त जवाब में यह तथ्य अंकित किया गया है कि यदि प्रतिवादी नं0 1 को कोई आपत्ति न हो तो राजकीय पंजीयन शुल्क की अदायगी पर वादी के नाम भूमि दर्ज किया जा सकती है। जबकि वादी ने उक्त तथ्य पर आपत्ति प्रकट करते हुए माननीय न्यायालय के दृष्टान्त AIR 1963 SC Page No. 1638 पैरा F एवं Hindu Law Article No. 30 प्रस्तुत कर कथन किये है कि मौखिक

दान मान्य है तथा पंजीयन शूल्क माफ किये जानें का प्रावधान है। अतः उक्त तनकी इसी अनुसार तय की जाती है।

उक्त तनकीयात् के निर्धारण के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

परिणामतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि यदि ग्राम भगवानपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 68 रकबा 0.64 हे0 भूमि के सम्बन्ध में नियमानुसार पंजीयन शूल्क अदा कर दिया जाता है तो वादी मूर्ति श्री वकांगी देवी नन्दवाना समाज, नीमोदा हरिजी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी की जावें।

निर्णय आज दिनॉक 25/10/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

मूर्ति श्री वक्रांगी देवी नन्दवाना समाज, नीमोदा हरिजी जरिये श्री वक्रांगी मंदिर ट्रस्ट सचिव श्याम मोहन पुत्र स्व0 रामकरण नन्दवाना निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

1. गणेशलाल पुत्र स्व0 कन्हैयालाल जाति नन्दवाना निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर–13/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि यदि ग्राम भगवानपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 68 रकबा 0.64 हे0 भूमि के सम्बन्ध में नियमानुसार पंजीयन शूल्क अदा कर दिया जाता है तो वादी मूर्ति श्री वक्रांगी देवी नन्दवाना समाज, नीमोदा हरिजी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 25/10/2017 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद